# जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
## मुख्य अभियंता (वाणिज्य)

क्रमांक/जडि/मुअ(वा)/सी–।/एफ4(214)/पार्ट IV/डी. 2445 दिनांक 03.10.08

## –: आदेश :–

विषय :– कृषि उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के निस्तारण हेतु "कृषक राहत एवं भुगतान सहायता योजना"(Amnesty Scheme-2008-2009)।

कृषि श्रेणी के अनेक उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों की काफी राशि बकाया है तथा उस पर प्रतिमाह विलम्ब सरचार्ज (डीपीएस) भी बढ़ता जा रहा है । इस बारे में विचार कर ऐसी राशि की शीघ्र वसूली करने हेतु उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिये निम्नलिखित "कृषक राहत एवं भुगतान सहायता योजना – 2008–09(Amnesty Scheme-2008-2009)" लागू की जाती है:–

1. चालू (Running)कृषि श्रेणी (मीटर एवं फ्लैट दर कनेक्शन हेतु) :

31.3.2008 को कुल बकाया राशि में से मूल बकाया राशि का एक मुश्त 31.12.2008 तक जमा कराने पर, कुल बकाया राशि में से "विलम्ब से भुगतान अधिभार (DPS)"की राशि माफ कर दी जावेगी। साथ ही 1.04.2008 से भुगतान करने की तिथी तक इकट्ठी हुई मूल राशि एवं 31.3.2008 को बकाया मूल राशि तथा दोनों राशियों पर "विलम्ब से भुगतान अधिभार (DPS)" भी उपभोक्ता को जमा कराना होगा ।

2. 31.3.08 को अथवा इससे पूर्व में कटे हुए (Disconnected)कृषि श्रेणी (मीटर एवं फ्लैट दर ) कनेक्शन हेतु :

31.3.08 को कुल बकाया राशि में सम्मिलित "विलम्ब भुगतान अधिभार (DPS)" की राशि माफ कर दी जावेगी एवं मूल राशि मय 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज (1.4.2008 से भुगतान की तिथी तक ) उपभोक्ता द्वारा एक मुश्त जमा कराना होगा।

3. उपरोक्त योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक शर्ते :–

   (i) यह योजना 31.12.2008 तक लागू रहेगी।

   (ii) योजना सभी कटे एवं चालू कृषि कनेक्शनों (मीटर एवं फ्लेट रेट) के सामान्य एवं उन उपभोक्ताओं पर जिन्हें 24 घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है ,अर्थात जिन्हें रोस्टर प्रणाली से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, पर लागू होगी।

br

K.T.O.

(iii) उपरोक्त नियमित योजना के अन्तर्गत बकाया जमा कराने के लिये उपभोक्ता द्वारा संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप अनुसार भरकर सम्बंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा है।

(iv) विद्युत चोरी, अनियमितता एवं दुरूपयोग आदि के प्रकरणो में यह योजना को लागू नहीं होगी।

(v) न्यायालयों में लम्बित मामलों की स्थिति में संबंधित उपभोक्ता को स्वेच्छा से अपना केस न्यायालय से वापस लेने की अन्डरटेकिंग देनी होगी।

(vi) इस योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा जिन्होने निगम के आदेश क्रमांक जेपीआर5–318 दिनांक 7.3.2006, जेपीआर5–393 दिनांक 17.4.07, एवं जेपीआर5–448 दिनांक 19.2.2008 के अन्तर्गत इस तरह की योजना का लाभ लिया था।

(vii) संबंधित सहायक अभियन्ता, विलम्ब भुगतान अधिभार/ब्याज की रकम का लाभ देने में सक्षम होंगें।

(viii) यदि उपभोक्ता उपरोक्त योजना के अनुसार निर्धारित राशि को समय पर जमा कराने में असफल रहता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(ix) कटे हुए कनेक्शनों को पुर्नस्थापित कराना आवश्यक नहीं है। हॉलांकि कटे हुए कनेक्शनों को कृषि कनेक्शन नीति के अनुसार ही पुर्नस्थापित किया जायेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

3.10.2008

(एन.एम.सरीन)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

K.T.O.

अनुलग्नक 'अ'

# आवेदन पत्र अन्तर्गत "कृषक राहत एवं भुगतान सहायता योजना" (Amnesty Scheme) 2008–09

सहायक अभियन्ता (
जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
_____।

महोदय,

मैं रियायत योजना 2008–09 के अन्तर्गत लाभ उठाना चाहता हूँ। मेरे कनेक्शन का विवरण निम्न प्रकार से है:–

1. उपभोक्ता का नाम एवं पता

2. विद्युत कनेक्शन की श्रेणी

3. उपभोक्ता का खाता संख्या

4. सम्बन्धित कार्यालय का नाम जहाँ से बिल जारी होते है।

5. विद्युत संबंध विच्छेद है अथवा चालू है

6. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने निगम के आदेश क्रमांक जेपीआर5–318 दिनांक 7.3.2006, जेपीआर5–393 दिनांक 17.4.07, एवं जेपीआर5–448 दिनांक 19.2.2008 के अन्तर्गत इस तरह की योजना का लाभ नहीं लिया था।

7. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पर बकाया राशि विद्युत चोरी (Theft)व अनियमितता (Malpractice)के मद में नहीं है।

8. मै प्रमाणित करता हूँ कि मेरा उपरोक्त विद्युत सम्बन्ध के बारे में कोई कोर्ट केस लम्बित नहीं है।

अथवा

मेरे उपरोक्त विद्युत संबंध के बारे में जयपुर विद्युत वितरण निगम के विरूद्ध जो कोर्ट केस लंबित है, उसे वापिस लेने के लिये सहमत हूँ

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर